संख्या: 42 /2022/1160/ सत्रह-म-2022-17-1099/1174/2019-पार्ट-1

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत पुनर्विनियोग / वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-441/नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0),20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 5.00 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग 8905-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना 42-अन्य व्यय में किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए तदनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0),20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 5752.39 लाख में के सापेक्ष संभावित बचतों से रू0 5.00 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग, अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8905- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना 42- अन्य व्यय में करते हुए संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 5,00000 (रू0 पॉच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-017 लेखाशीर्षक 2405001018905 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक बीमा योजना, मानक मद 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या- RE-budget-1-111 **दिनांक 03 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।**

संलग्नक - प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या: 42/ 2022/ 1160 (1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अवर सचिव,भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुधन,डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
3- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) हैदराबाद।
6- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
9 - गार्ड फाइल।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।